# कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम

web site : www.mp.gov.in/pwdmp email: eepwdratlam@mp.nic.in
Phone- 07412-270437] Fax -232445

क्रमांक 4322 / टी.एस. / 22–23 / रतलाम दिनांक 23-11-2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश
भोपाल

विषय– रतलाम जिले में रतलाम–मोरवानी–उमर–रावटी–बाजना मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण हेतु 4.977 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम को उपयोग पर देने बाबत्।

सन्दर्भ– आपका पत्र क्रमांक एफ–5 / 1087 / 2021 / 10–11 / 3740 दिनांक 04.11.2022

––00––

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि संदर्भित पत्र से विषयाकिंत प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 08 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है, जिसका बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नानुसार है–

1. उक्त मार्ग निर्माण हेतु विभाग द्वारा वर्ष 1970–71 में भू–अर्जन 8.75 मीटर चौड़ाई में किया जाकर 3.75 मी. चौडाई में डब्ल्यु.बी.एम. सड़क एवं 1.5 मीटर –1.5 मीटर के शोल्डर से निर्माण किया गया। मार्ग वर्ष 1980 के पूर्व का निर्मित होकर लोक निर्माण विभाग की पुस्तिका में दर्ज होकर मुख्य जिला मार्ग की श्रेणी का है। इस क्षेत्र की सर्वे ऑफ इंडिया वर्ष 1970–71 की टोपोशीट क्रमांक 46 I/15 जिसमें मार्ग (Road) प्रदर्शित हो रहा है।
2. बिन्दु क्रमांक 02 में चाही गई प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति संलग्न है।
3. बिन्दु क्रमांक 03 अनुसार पूर्व में वन विभाग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार KML File तैयार कराकर ऑनलाईन अनुमति हेतु आवेदन किया गया। जिसकी लंबाई 6.865 कि.मी. थी। तत्पश्चात वन विभाग के DSS बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार वन क्षेत्र सीमा (Working Plan Boundry) में परिवर्तन हो जाने के कारण वन विभाग के द्वारा बताई गई वन क्षेत्र में नवीन KML File के अनुसार लंबाई 7.985 कि.मी. हुई है। जिसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
4. बिन्दु क्रमांक 04 में चाही गई Area Calclulation sheet पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
5. बिन्दु क्रमांक 05 में चाही गई Forest /Non Forest land की जानकारी पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
6. बिन्दु क्रमांक 06 में चाही गई Muck Calclulation पूर्व में प्रस्तुत की जा चुका है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
7. 5.50 मीटर चौडाई में डामरीकरण का कार्य एवं 2.25 मीटर–2.25 मीटर के शोल्डर निर्माण के पश्चात शेष भूमि पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। वनमण्डलाधिकारी रतलाम के द्वारा प्रस्ताव तैयार कर पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
8. इस निर्माण कार्य का सर्वेक्षण एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कराये जाने के लिए मेसर्स एल.एन. एम. इन्फ्रा. प्रोजेक्ट प्रा. लि. कन्स्लटेन्ट नियुक्त हैं जिनके द्वारा अनुमोदित एल–सेक्शन एवं क्रॉस सेक्शन के अनुसार कुल आर.ओ.डब्ल्यु. लगभग 15.054 मीटर लिया गया है। कन्स्लटेन्ट का वन क्षेत्र में आवश्यक चौडाई के संबंध में पत्र है।
पूर्व में प्रस्तावित 16 मीटर चौडाई से कम आवश्यकतानुसार औसतन 15.054 मीटर चौडाई की अनुमति हेतु आवेदन किया गया है। ताकि कम से कम वन क्षेत्र प्रभावित हों।

कृपया निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि जनहित में शासकीय सड़क का निर्माण कार्य कराया जा सकें।

**संलग्नः– उपरोक्तानुसार।**

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम (म.प्र.)

D:\ts\TS LETTER\Letter 22-02-2022.docx

पृ. क्रमांक 4323 /टी.एस./22–23/ रतलाम दिनांक 23-11-2022

प्रतिलिपिः–

1) वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल रतलाम की ओर आपके पत्र क्रमांक 4598 दिनांक 10.11.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2) अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग सैलाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री

o/c लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम (म.प्र.)